



2026: AHC : 39123

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 751 वर्ष 2026

तीरथ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व परिषद उ.प्र. एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता- अशोक कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता- सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पांडे, भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार वर्मा और राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
3. तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"1. प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वे पुनरीक्षण संख्या 4083 वर्ष 2023, तीरथ बनाम राज्य एवं अन्य को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करें, और निगरानी के निस्तारण तक, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 16.12.2025 को जारी रखा जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2026 को उत्प्रेषण लेख जारी कर न्याय के हित में रद्द किया जाए।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब्दुल कयूम द्वारा 16.06.1987 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई एक नामांतरण कार्यवाही उप-जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि निजी प्रतिवादीगण ने उसी विवादित भूखंड के संबंध में बाद में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन किया, जिसे नामांतरण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर निगरानी वर्ष 2023 से राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त निगरानी में राजस्व परिषद द्वारा 18.12.2025 को नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.10.2023 पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि राजस्व परिषद ने बाद के आदेश दिनांक 27.01.2026 द्वारा अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया और मामले को निस्तारण के लिए नियत कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि लंबित निगरानी को समयबद्ध अवधि में निस्तारित करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं और निस्तारण तक राजस्व परिषद द्वारा 18.12.2025 को दी गई अंतरिम सुरक्षा को प्रभावी बनाया जाए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार वर्मा ने तर्क दिया कि नामांतरण के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2023 में दायर निगरानी विचारणीय नहीं है, क्योंकि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के तहत अपील का उपचार प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के वकील का यह कहना कि मामला उप-जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है, पूरी तरह गलत है क्योंकि वहां कुछ भी लंबित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो कार्यवाही विचारणीय नहीं है, उसमें अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। उन्होंने दलील दी कि दर्ज स्वामी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के पक्ष में उचित तरीके से विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, अतः इस रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि राजस्व परिषद द्वारा 18.12.2025 को एक अंतरिम आदेश दिया गया था, जिसे राजस्व परिषद द्वारा 27.01.2026 के आदेश के तहत आगे नहीं बढ़ाया गया है।

8. न्याय के हित में यह आवश्यक है कि लंबित निगरानी को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाए और निगरानी के लंबित रहने तक निगरानी न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को बनाए रखा जाए।

9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1-राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त निगरानी को शीघ्रता से, अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर तय करें, जिसमें निगरानी की विचारणीयता के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की आपत्ति पर उचित तरीके से विचार किया जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त निगरानी के निस्तारण तक, राजस्व परिषद द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश दिनांक 18.12.2025 प्रभावी रहेगा।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

20 फरवरी, 2026

मिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।